प्रेस विज्ञप्ति
जनपद बस्ती
दिनांकः-27.07.2021

थाना पैकोलिया व SOG की संयुक्त टीम द्वारा रुपये 25,000/- के इनामिया वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एंव अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी हरैया श्री शेषमणि उपाध्याय के पर्यवेक्षण में SOG प्रभारी निरीक्षक श्री मत्युजंय पाठक व थानाध्यक्ष पैकोलिया श्री प्रदीप कुमार सिंह की संयुक्त टीम द्वारा थाना पैकोलिया जनपद बस्ती पर पंजीकृत मु0अ0सं0 85/2021 धारा 272 IPC व 60/72 आबकारी अधिनियम एवं इनामिया रुपया 25,000/- के पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त 1. घनश्याम पुत्र रामदास सोनकर निवासी बेनीपुर थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती को आज दिनांक-27.07.2021 को समय 03:30 बजे पचपेड़वा बभनान मार्ग पर स्थित बहदग्राम कठवतिया सावडीह तिराहा से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।

मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के पैर में गोली लगी गयी एवं हे0का0 दिलीप (SOG टीम) घायल हो गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट बजाज, एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर, एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया एवं अभियुक्त के विरुद्ध थाना पैकोलिया जनपद बस्ती पर मु0अ0सं0- 111/2021 धारा 307 IPC व मु0अ0सं0- 112/2021 धारा 3/25 व 5/27 Arms Act पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. घनश्याम पुत्र रामदास सोनकर निवासी बेनीपुर थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर |
2. एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस।
3. एक अदद बजाज मोटरसाइकिल (बिना नंबर प्लेट)।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ करने पर अभियुक्त घनश्याम पुत्र रामदास सोनकर द्वारा बताया गया कि मै दिनांक 23.06.2021 को अपने साथी रामसुभावन, सूरज सोनकर व त्रिभुवन सोनकर के साथ कच्ची शराब लेकर कार से जा रहा था कि पुलिस वालों द्वारा नहर पुलिया ग्राम इमिलियाधीश के पास पकड़ लिया गया था किन्तु मै पुलिस को चकमा देकर वहाँ से फरार हो गया था, जिसमें पुलिस मेरी तलाश कर रही थी | मेरे ऊपर रुपये 25000/- का इनाम भी घोषित किया गया है, जिसकी जानकारी मुझे कुछ दिन पहले हुई थी जिससे मै लुक-छिपकर इधर-उधर रहता था | कल मै बस्ती में रुका था एवं पुलिस से बचने के लिए रात्रि में इस समय निकलकर मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था कि अचानक आप लोगों द्वारा अपने आपको चारों तरफ से घिरा हुआ देखा तो मैंने यह सोचकर आप पुलिस वालों पर फायर कर दिया कि मै पुनः पुलिस वालों को चकमा देकर बचकर निकल जाऊंगा और आप पुलिस वाले मुझे पहचान भी नही पायेंगे लेकिन आप लोगों द्वारा आज मैं पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 119/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।
2. मु0अ0सं0- 331/2021धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।
3. मु0अ0सं0- 108/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।
4. मु0अ0सं0- 373/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।
5. मु0अ0सं0- 33/2005 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।
6. मु0अ0सं0- 226/99 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।
7. मु0अ0सं0- 85/2021 धारा 272 भा0द0वि0 व 60/72 आबकारी अधिनियम थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।
8. मु0अ0सं0- 111/2021 धारा 307 भा0द0वि0 थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।
9. मु0अ0सं0- 112/2021 धारा 3/25 व 5/27 Arms Act थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. SOG प्रभारी निरीक्षक श्री मत्युजंय पाठक जनपद बस्ती |
2. थानाध्यक्ष पैकोलिया श्री प्रदीप कुमार सिंह जनपद बस्ती |
3. उ0नि0 सुरेश यादव थाना पैकोलिया जनपद बस्ती |
4. हे0का0 विजय प्रकाश दीक्षित, हे0का0 दिलीप कुमार, का0 अजय यादव, का0 विजय कुमार यादव SOG टीम जनपद बस्ती |
5. हे0का0 जनार्दन प्रजापति, का हिन्दे आज़ाद सर्विलांस सेल जनपद बस्ती |
6. का0 शैलेश यादव, का0 जय प्रकाश, रि0का0 जीवन प्रताप सिंह थाना पैकोलिया जनपद बस्ती |